निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -49/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त (क0नि0)- खण्ड-2, वा णज्य कर वकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक आयुक्त (क0नि0)- खण्ड-2, वा णज्य कर वकासनगर के माह 04/2014 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सराज हुसैन सहायक लेखा परीक्षा अ धकारीयों द्वारा दिनांक 26.07.2017 से 03.08.2017 तक श्री एन.के. सन्हा लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दीपक रावत (ले0प0) श्री पी.के.गुप्ता, श्री एन.के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारीयों द्वारा दिनांक.19.02.2015 से 27.02.2015 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2009 से 03/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – कर निर्धारण

3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	831.33/-
2015-16	1112.91/-
2016-17	1225.90/-

(ii)(c) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्य र्पत रा श
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
शून्य					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई - श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सहायक आयुक्त (क0नि0)**-** खण्ड-2**,** वा णज्य कर वकासनगर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....मार्च 15, 03/16, 03/17 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण `**2.40** लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) में प्रावधान कया गया है, क कसी भी अनुसुची में सम्मि लत माल से भन्न माल के संबंध में कर देयता 12.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-2, वा णज्य कर, वकास नगर की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नां कत क मयाँ पाई गयी।

(क) व्यौहारी सर्वश्री सैण्ड पा र्कंग एण्ड रिफलैक्टिव टैक्नोलॉजी, कैम्प रोड, वकास नगर, कर- निर्धारण वर्ष- 2009-10 द्वारा संगत वर्ष में `9,62,000/- की रिफलैक्टिव साईन बोर्ड की बिक्री 4% की दर से की गई, जब क उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की कसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं होने के कारण 12.5% की दर से कर आरोपणीय होगा। अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (12.5-5) से 81,770/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क साइन बोर्ड मूल्य व र्धत कर अ ध0 2005 की अनुसूची -IIB के क्रम संख्या 65 (xxii) से आच्छादित फ्लैट पैनल डस्पले डवाइस के अन्तर्गत था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था। चूँ क साईन बोर्ड IT product (Information Technology Product) के अन्तर्गत नहीं था।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

(ख) अ वभाजित स वल सं वदा के सम्बन्ध में शासन के परिपत्र सं0 380 दिनांक 28.03.2013 में उल्ले खत समाधान योजना के प्रवधानों के अनुसार स वल सं वदा के सम्बन्ध में 2% की दर से समाधान शुल्क देय होगा बशर्ते क सं वधाकार द्वारा योजना का वकल्प प्रस्तुत करने अथवा उसके पुर्व अपना केन्द्रीय बिक्री कर प्रमाण पत्र रद्द करनें हेतु सरेण्डर कर दिया गया हो।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-2 वा णज्य कर, वकासनगर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया क सं वदाकार सर्व श्री शराफत अली, ग्राम + पो0 संभावाला, वकासनगर को संगत वर्ष में निष्पादित स वल कार्य के सम्बन्ध में कुल

`1,14,10,944/- के समाधान धनरा श का सं वदि वभागों द्वारा भुगतान कया गया था। कर निर्धारण अ धकारी द्वारा उक्त भुगतान के वरूध `79,33,514/- के भगतान पर 2% की दर से 1,58,670/- का समाधान शुल्क आरो पत कया गया था जिसके समर्थन में व्यौहारी द्वारा अपना केन्द्रीय वक्रय कर प्रमाण पत्र सरेण्डर कया जाना अपे क्षत था, जो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार समाधान योजना के प्रावधानों का पालन न कये जाने के कारण व्योवहारी के वरूध उक्त धनरा श पर 2% के बजाय 4% की दर से कर आरोपणीय था, जिसके फलस्वरूप सन्द र्भत प्रकरण में `1,58,670/- के समाधान शुल्क का न्यूनारोपण हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा बताया गया क सं वदाकार द्वारा पुर्व में ही केन्द्रीय वक्रय कर प्रमाण पत्र सम र्पत कर दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क ऐसा कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया न ही कर निर्धारण अ धकारी द्वारा अपनें कर निर्धारण आदेश में ऐसा कोई उल्लेख कया गया था।

प्रकरण सुधारात्मक कार्यवाही हेतु वभाग के संज्ञान में लाया गया।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 2 ब्याज की धनरा श का वसूल नहीं कया जाना `1.62 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार स्वीकृत रुप से देय कर वहित समय के भीतर जमा कया जायेगा। ऐसा करने में वफल होने पर अदत्त धनरा श पर वहित अन्तिम तारीख से ठीक अगली तारीख से ऐसी धनरा श के भुगतान की तारीख तक 15% वा र्षक की दर से साधारण ब्याज देय तथा भुगतान योग्य होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-2, वा णज्य कर, वकास नगर की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क व्यौवहारी सर्वश्री आशुतोष आटा चक्की, वकास नगर कर - निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा 3,13,106/- का अपंजीकृत से क्रय पर कर आरो पत कया गया था एवं 60 दिनों के अन्दर जमा करने के आदेश दिये गये थे, जिसे व्यौवहारी द्वारा 19.03.2016 को चालान संख्या 12948 द्वारा जमा कया गया। अतः दिनांक 01.10.2012 से रा श जमा करने की ति थ 18.03.2016 तक 41 माह 18 दिन का ब्याज 1,62,815/- होता है जिसे वभाग द्वारा नहीं वसूला गया।

इस संबंध में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-3 अर्थदण्ड का अनारोपण `0.50 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा -58(I)(vii) के अन्तर्गत कसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये से अ धक हो का दायी होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0) खण्ड-2, वा णज्य कर, वकास नगर के अ भलेखों की जाँच में पाया गया क तीन व्यापारियों द्वारा व भन्न माहों में देय कर की कुल रा श `4,98,236/- को वलम्ब से जमा कया था।

(ववरण संलग्न)

अतः वलंब से जमा कर की रा श पर अ धनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार `49,824/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

इस संबंध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की ति थ	कर की धनरा श (`)	आरोपणीय अर्थदण्ड (`)
1	सर्वश्री क्ला सक पैकेजिंग क0 सेलाकुई टिन- 05010943080	2012-13	अप्रैल-12	30.05.2012	26970/-	2697.0/-
			मई-12	28.06.2012	56656/-	5665.6/-
			अगस्त-12	18.10.2012	11816/-	1181.6/-
			अगस्त-12	18.10.2012	18794/-	1879.4/-
			सतम्बर-12	01.12.2012	3076/-	307.6/-
			सतम्बर-12	01.12.2012	78780/-	7878.0/-
			नवम्बर-12	18.03.2013	4128/-	412.8/-
			नवम्बर-12	18.03.2013	45748/-	4574.8/-
			दिसम्बर-12	18.03.2013	38151/-	3815.1/-
			दिसम्बर-12	18.03.2013	3876/-	387.6/-
			जनवरी-13	23.03.2013	21941/-	2194.1/-
			जनवरी-13	23.03.2013	4190/-	419.0/-
			मार्च-13	26.04.2013	4151/-	415.1/-
			मार्च-13	26.04.2013	8349/-	834.9/-
2	सर्वश्री शाद इंजीनियरिंग सेलाकुई टिन- 05009584498	2011-12	III Qtr IV Qtr	06.03.2012 10.05.2012	43360/- 44913/-	4336.0/- 4491.3/-
3	सर्वश्री शान आर्गन वैल डंग वर्कस सहारनपुर टिन- 05007955480	2011-12	1st Qtr IVth Qtr	08.08.2011 26.05.2012	67562/- 15775/-	6756.2/- 1577.5/-
					498236/-	49823.6/-

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	
शून्य			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त (क0नि0)- खण्ड-2, वा णज्य कर वकासनगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री गुलरेज रजवी	AC
(ii)	श्री योगेश मश्रा	AC
(iii)	श्री अंजनी कुमार संह	AC
(iv)	श्री योगेश रावत	AC

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति सहायक आयुक्त (क0नि0)- खण्ड-2, वा णज्य कर वकासनगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र